कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1819063 दि० 14-11-2018

पत्रांक– 1080 /आई0टी0/18–19/वाणिज्य कर मुख्यालय।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

उ0प्र0 लखनऊ।

(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 14, 2018।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर/वाणिज्य कर अधिकारी उत्तर प्रदेश।

विषय– पंजीयन सत्यापन के सम्बन्ध में–

जी0एस0टी0 के विधिक प्राविधानों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त पंजीयन प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण 3 कार्यदिवस के अन्दर किया जाना आवश्यक है और इस अवधि में निस्तारण न किये जाने पर प्रार्थना पत्रों का डीम्ड अप्रूवल होने का प्राविधान है। अतः पोर्टल पर दाखिल प्रार्थना पत्रों में से जो प्रार्थना पत्र राज्य के अधिकारियों को अग्रसारित होते हैं उन प्रार्थनापत्रों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण सम्बन्धित खण्ड के असिस्टेण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा अनिवार्यतः 3 कार्यदिवस के अन्तर्गत करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने अथवा कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पंजीयन जारी किये जाने के उपरान्त प्रॉपर ऑफिसर यदि आवश्यक समझे तो व्यापारी के व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन एवं अभिलेखों का सत्यापन कर सकता है और सत्यापन के उपरान्त व्यापार स्थल के फोटोग्राफ सहित अन्य अभिलेखों को फार्म जी0एस0टी0 आर0ई0जी0 30 में सत्यापन के 15 दिन के अन्दर कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारियों के अधिकांश मामलों में व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन या तो किया ही नहीं जा रहा है अथवा पूर्ण सजगता के साथ नहीं किया जा रहा है तथा इस कारण से अस्तित्व हीन अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत कर एवं त्रुटिपूर्ण अभिलेख अपलोड कर पंजीयन प्राप्त कर लिया जाता है और भारी मात्रा में ई–वे बिल जनरेट कर अथवा अन्य प्रकार से पंजीयन का दुरूपयोग करते हुए करापवंचन किया जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिया जाते हैं कि खण्ड के असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों व संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण 3 कार्यदिवस में करते हुए पंजीयन जारी करने अथवा कारण बताओ नोटिस जारी कराने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा तथा दिनांक 01.11.2018 के उपरान्त प्राप्त पंजीयन के सभी मामलों में व्यापार स्थल का भौतिक

सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यह भौतिक सत्यापन खण्ड में कार्यरत वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा किया जायेगा। पंजीयन Approve करने वाले असिस्टेन्ट कमिश्नर का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर पंजीकृत व्यापारियों के व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन कर लिया जाये तथा चिन्हित संवेदनशील वस्तुओं हेतु जारी पंजीयन के सम्बन्ध में व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन पंजीयन जारी होने के 5 कार्य दिवस के अन्दर किया जायेगा। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा सम्बन्धित असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन कार्य की पाक्षिक समीक्षा की जाएगी। और यदि यह पाया जाता है कि पंजीयन जारी करने में/सत्यापन कार्य में जानबूझकर लापरवाही की गयी है तो उसके विरूद्ध अपने स्तर से कार्यवाही की जाएगी। मुख्यालय/शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होने की स्थिति में स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा।

भौतिक सत्यापन हेतु मुख्यालय की आई0टी0 टीम द्वारा एक Android Based App विकसित किया गया है जो Google Play Store पर उपलब्ध है तथा यह ऐप सभी वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा अपने CUG Number पर डाउनलोड किया जायेगा तथा व्यापार स्थल के भौतिक सत्यापन के समय इस ऐप का उपयोग करते हुए ऐप के माध्यम से ही डाटा फीड किया जायेगा। इस ऐप के लिए USER ID व Password वही होगा जो पूर्व में 'वाणिज्य कर विभाग, आप के द्वार' योजना के अन्तर्गत प्रयोग किये जा रहे ऐप पर था। इस ऐप में प्रविष्टियां निम्नवत की जायेगी।

जिस व्यापारी के व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है उसका GSTIN नम्बर Enter GSTIN में अंकित किया जायेगा तथा यह GSTIN अंकित करने के उपरान्त व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये डीटेल्स Auto Populate हो जायेगें। तदोपरान्त यथा स्थिति Principal Place of Business अथवा Additional Place of Business जिसका सत्यापन किया जा रहा है ऐप में सेलेक्ट किया जायेगा। सत्यापन के समय व्यापार स्थल का पता प्रार्थना पत्र में घोषित पते के अनुरूप पाया जाता है अथवा अन्यथा पाया जाता है तदनुसार Yes अथवा No का चयन किया जायेगा। व्यापार स्थल पर यदि व्यापारिक गतिविधि पायी जाती है तो उसमें Yes और व्यापारिक गतिविधि न पाये जाने पर No का चयन किया जायेगा। इसी प्रकार suitability of business premises में यदि व्यापार स्थल पंजीयन में घोषित वस्तुओं के व्यापार के अनुरूप है तो Yes अथवा अन्यथा की स्थिति में No का चयन किया जायेगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा संक्षेप में पंजीयन जारी रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी Remarks में अंकित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त यदि व्यापारी द्वारा कम्पोजीशन का विकल्प लिया गया है किन्तु प्रथम दृष्टया व्यापारी कम्पोजीशन हेतु पात्र प्रतीत नहीं होता है तो तदनुसार बॉक्स में अंकित किया जायेगा। इसके उपरान्त Select Business द्वारा व्यापारी, निर्माता, ट्रेडर्स या सर्विस प्रोवाइडर के रूप में चिन्हित किया जायेगा और उनसे सम्बन्धित वस्तुओं के बॉक्स को टिक किया जायेगा। इसमें एक से अधिक प्रकार के व्यापार

अथवा एक से अधिक वस्तुओं का भी चयन किया जा सकता है। यदि व्यापारी द्वारा 5 से अधिक वस्तुओं का व्यापार किया जाता है तो मुख्य 5 वस्तुएं चयन की जायेंगी। तदोपरान्त व्यापार स्थल के अनुमानित क्षेत्रफल एवं व्यापारी द्वारा बताये गये अनुमानित टर्नओवर को अंकित करते हुए **verified data submit** की जायेगी। **Submit** करने के उपरान्त यह डाटा सर्वर पर सेव हो जायेगा तथा इसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01 नवम्बर, 2018 के उपरान्त प्राप्त सभी पंजीयन प्रार्थना पत्रों की जांच एवं व्यापार स्थल का सर्वे उपरोक्तानुसार सुनिश्चित किया जाये। 1 नवम्बर से पूर्व प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट)/खण्डाधिकारी अथवा असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा जिन मामलों में सत्यापन किया जाना आवश्यक पाया जाये उसे खण्ड के असिस्टेन्ट कमिश्नर के माध्यम से चिन्हीकरण कराकर सत्यापन कराया जायेगा। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का दायित्व होगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कामिनी चौहान रतन)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।